उत्तर प्रदेश शासन

ग्राम्य विकास अनुभाग-7

संख्या- 23/1866/अडतीस-7-2014-118नरेगा/2014

लखनऊ: दिनांक: 28 अगस्त , 2014

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

जनहित गारण्टी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत अधिसूचित महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत समय सीमा नियत करते हुए निम्नलिखित पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपीलीय अधिकारियों, द्वितीय अपीलीय अधिकारियों को निम्नानुसार एतदद्वारा नामित किया जाता है:-

क्रसं0	विभाग का नाम	सेवायें	पदाभिहित अधिकारी	सेवाओं के लिए नियत समय सीमा	प्रथम अपीलीय अधिकारी	प्रथम अपील के निस्तारण की नियत समय सीमा	द्वितीय अपीलीय अधिकारी	द्वितीय अपील के निस्तारण की नियत समय सीमा
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	ग्राम्य विकास विभाग	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत अकुशल श्रमिकों को रोजगार दिया जाना	कार्यक्रम अधिकारी/ खण्ड विकास अधिकारी	15 कार्य दिवस	अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक /मुख्य विकास अधिकारी	07 कार्य दिवस	जिला कार्यक्रम समन्वयक /जिलाधिकारी	07 कार्य दिवस

2- नामित पदाभिहित अधिकारियों/प्रथम अपीलीय अधिकारियों/द्वितीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा जनहित गारण्टी अधिनियम 2011 के अन्तर्गत उपरोक्त नियत समय सीमा के अन्तर्गत अपीलों का निस्तारण सुनिश्चित किया जायेगा।

(अशोक कुमार)

विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 1866 (1)/अड़तीस-7-2014-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, लोक सेवा प्रबन्धन विभाग, उ0प्र0शासन।
2. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
3. अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ ।
4. समस्त जिलाधिकारी/द्वितीय अपीलीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त खण्ड विकास अधिकारी/पदाभिहित अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा मुख्य विकास अधिकारी।
7. ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in